[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–6 एच०एल०ए०

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह 30 जनवरी, 2026 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 7क का संशोधन।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7क में, "पट्टे" शब्द के बाद, "या विनिमय विलेख" शब्द रखे जाएंगे।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्या 8) की धारा 7 क में यह प्रावधान है कि किसी भी अधिसूचित शहरी क्षेत्र में, जो इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, एक एकड़ से कम क्षेत्रफल की किसी भी रिक्त भूमि का विक्रय, पट्टा या उपहार के रूप में अंतरण करने हेतु पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अंतर्गत किसी दस्तावेज के पंजीकरण से पूर्व, नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक अथवा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 7 क के अंतर्गत इस प्रकार की एन.ओ.सी. प्राप्त करने का उद्देश्य, राज्य के शहरी क्षेत्रों में अधिनियम की धारा 7 (i) एवं (ii) का उल्लंघन करते हुए अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकना है।

पंजीकरण अधिकारियों द्वारा यह देखा गया है कि कुछ छोटे भूखंडो की अदला–बदली करके, अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में स्थित कहीं बड़े या अधिक मूल्यवान भूखंड लिए जा रहे हैं। यद्यपि ऐसे लेन–देन कानूनी रूप से अदला–बदली (एक्सचेंज) कहलाते हैं, परंतु वास्तव में ये अप्रत्यक्ष विक्रय लेन–देन होते हैं, जिससे अधिनियम की धारा 7 क के विनियामक प्रावधानों को दरकिनार किया जा रहा है। यह प्रक्रिया धारा 7 क की भावना और उद्देश्य को निश्फल करती है। ऐसे पंजीकरण अन्य तहसीलों में भी हो रहे हैं, जो तब सामने आते हैं जब पक्षकारों में से कोई एक भूमि के नामांतरण (इंतकाल) हेतु आवेदन करता है।

अतः यह प्रस्तावित है कि 1975 के अधिनियम संख्या 8 की वर्तमान धारा 7 क में संशोधन कर, अदला–बदली के विनियम विलेख को भी उक्त प्रावधान के अंतर्गत लाया जाए, ताकि अवैध कॉलोनियों में ऐसे भूखंडों की खरीद–फरोख्त को हतोत्साहित किया जा सके।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 6 मार्च, 2026.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 6 मार्च, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गज़ट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबंध

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 से उद्धरण

अनुभाग	उद्धरण
	X X X X X
1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 7 क का संशोधन।	तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां नगरीय क्षेत्र, जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा, समय समय पर, विशेष रूप से अधिसूचित किया जाए, में ["एक एकड़" से कम क्षेत्र रखने वाली किसी खाली भूमि के पट्टे या उपहार] या विक्रय के रूप में अन्तरण के लिए तात्पर्यित कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 17 के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है
	X X X X X

12480–H.V.S.–H.G.P., Pkl.